कार्यालय कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्रमांक 12 अ–82/19–20/टिपनापुर/5822 बैतूल दिनांक 25– जून–2020

घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची –2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे0 में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	6
बैतूल (म0प्र0)	आठनेर	टिपनापुर	1.052	निरगुड़ मध्यम परियोजना के पहुंचमार्ग हेतु भूमि का अर्जन

अनुसूची – 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्रमांक	भूमिस्वामी कृषक का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का कुल रकबा	अर्जित भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	विट्ठलराव पिता भैया जाति कुन्बी नि0जावरा	8	2.000	**0.086**
2	मारोती पिता गंगाराम जाति कुन्बी नि0जावरा	70	2.315	**0.157**
3	चिन्धी बेवा शेषराव जाति कुन्बी निवासी जावरा	71	1.943	0.132
4	खट्या पिता पुन्ज्या, मीरू पिता पुन्ज्या, काशी बेवा नत्थ्या, केशोराव, गुलाबराव पिता नत्थ्या जाति कुन्बी नि0 जावरा	72	2.339	0.061
		76	5.492	0.242
5	सुखदेव, जगन, निलेश, रमेश पिता घुस्या, सरू मुन्नी, गीता पिता धुस्या जाति कुन्बी निवासी जावरा	73	1.740	0.060
6	ललिता जौजा जगन जाति कुन्बी निवासी जावरा	74	1.619	0.060
7	यशवन्तराव पिता नत्थ्या जाति कुन्बी निवासी जावरा	75/1	4.702	0.254
	योग		22.150	1.052

(2) चूंकि निरगुड़ मध्यम परियोजना के पहुंच मार्ग हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

25/6/2020

(राकेश सिंह)
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

पृ0क0 12 अ–82/19–20/ टिपनापुर / 5822 बैतूल दिनांक 25 –6–2020
प्रतिलिपिः–

1– उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

2– संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में)अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन बैतूल जिले के सर्वाधिक प्रकाशित दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।

3– कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन की पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www. betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

5– प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

6– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

7– तहसीलदार आठनेर की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं ग्राम पंचायत पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

8– जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

अपर कलेक्टर एवं
प्र0अ0भू–अर्जन बैतूल